



राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : - अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 17/2023

दायर तारीख 18.05.2023

अनवान्

01. कन्हैयालाल पुत्र सुगनलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी जोलास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०) हाल मुकाम चकसोड़ीजर (म०प्र०)
02. घीसीलाल पुत्र कासीराम जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी जोलास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०) हाल मुकाम चकसोड़ीजर (म०प्र०)
03. नानालाल पुत्र मेघा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी जोलास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०) हाल मुकाम चकसोड़ीजर (म०प्र०)
04. पप्पु कुमार पुत्र सुगनलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी जोलास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०) हाल मुकाम चकसोड़ीजर (म०प्र०)
05. प्रभुलाल पुत्र कासीराम जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी जोलास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०) हाल मुकाम चकसोड़ीजर (म०प्र०)
06. बालीबाई पत्नि स्व० सुगनलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी जोलास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०) हाल मुकाम चकसोड़ीजर (म०प्र०)
07. मदनलाल पुत्र मेघा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी जोलास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०) हाल मुकाम चकसोड़ीजर (म०प्र०)
08. मोहनलाल पुत्र काशीराम जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी जोलास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०) हाल मुकाम चकसोड़ीजर (म०प्र०)
09. रामेश्वरलाल पुत्र मेघा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी जोलास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०) हाल मुकाम चकसोड़ीजर (म०प्र०)
10. सुन्दरबाई पुत्री काशीराम जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी जोलास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०) हाल मुकाम चकसोड़ीजर (म०प्र०)
11. सीताबाई पुत्री काशीराम जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी जोलास तहसील जिलियां जिला भीलवाड़ा (राज०) हाल मुकाम चकसोड़ीजर (म०प्र०)

..... डिक्रीदार

बनाम

1. अनोप पुत्री जीतमल पत्नि सुरजमल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी जोलास हाल मुकाम विक्रमपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. कमला पुत्री जीतमल पत्नि शोभालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी जोलास हाल मुकाम बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. कैलाशचन्द्र पुत्र भूरालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी जोलास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. जमनी पत्नि जीतमल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी जोलास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. धापू पुत्री जीतमल पत्नि भवानीशंकर जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी जोलास हाल मुकाम गिरधरपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)



87

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

6. निर्मला पुत्री जीतमल पत्नि रामलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी जोलास हाल मुकाम सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)
7. प्यारी पुत्री जीतमल पत्नि छीतर जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी जोलास हाल मुकाम चान्दजी की खेड़ी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)
8. सीताराम पुत्र भूरा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी जोलास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)
9. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज०)

..... मदयूनान

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-88 रा0टी0एक्ट



निर्णय दिनांक : 03 / 02 / 2026

डिक्री दिनांक : 03 / 02 / 2026

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियां बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादीगण श्री मुकेश कुमार धाकड़ एवं विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं. 1, 2, 4 से 8 तक श्री जगदीश चन्द्र धाकड़, विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं. 3 श्री रामफूल धाकड़ को हुकम दिया है व डिक्री दी जाती है कि :-

वादपत्र वादीगण अन्तर्गत धारा 53-88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर डिक्री इस आशय कि जारी की जाती है कि :- निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम ग्राम चान्दजी की खेड़ी पटवार हल्का चान्दजी की खेड़ी के राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)
01	2. कन्हैयालाल पुत्र सुगनलाल हिस्सा 333/3993 जाति धाकड़ जमाबन्दी अनुसार सा0 जौलास	चान्दजी की खेड़ी	204/1	0.3993
	2. घीसीलाल पुत्र काशीराम हिस्सा 333/3993 शेष जमाबन्दी बदस्तुर			
	3. नानालाल पुत्र मेघा हिस्सा 333/3993 शेष जमाबन्दी बदस्तुर			
	4. पप्पु कुमार पुत्र सुगनलाल हिस्सा 333/3993 शेष जमाबन्दी बदस्तुर			
	5. प्रभुलाल पुत्र काशीराम हिस्सा 333/3993 शेष जमाबन्दी बदस्तुर			
	6. बालीबाई पत्नि स्व० सुगनलाल हिस्सा 333/3993 शेष जमाबन्दी बदस्तुर			
	7. मदनलाल पुत्र मेघा हिस्सा 333/3993 शेष जमाबन्दी बदस्तुर			

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

	8. मोहन पुत्र काशीराम हिस्सा 333/3993 शेष जमाबन्दी बदस्तुर			
	9. रामेश्वरलाल पुत्र मेघा हिस्सा 333/3993 शेष जमाबन्दी बदस्तुर			
	10. सुन्दरबाई पुत्री काशीराम हिस्सा 333/3993 शेष जमाबन्दी बदस्तुर			
	11. सीताबाई पुत्री काशीराम हिस्सा 333/3993 शेष जमाबन्दी बदस्तुर			
	योग		किता 01	0.3993
02	1. अनोप पुत्री जीतमल हिस्सा 332/7986 शेष जमाबन्दी बदस्तुर	चान्दजी की खेड़ी	204/2	0.7986
	2. कमला पुत्री जीतमल हिस्सा 332/7986 शेष जमाबन्दी बदस्तुर			
	3. कैलाशचन्द्र पुत्र भूरालाल हिस्सा 1/2 शेष जमाबन्दी बदस्तुर			
	4. जमनी पत्नि जीतमल हिस्सा 3345/79860 शेष जमाबन्दी बदस्तुर			
	5. धापू पुत्री जीतमल हिस्सा 332/7986 शेष जमाबन्दी बदस्तुर			
	6. निर्मला पुत्री जीतमल हिस्सा 332/7986 शेष जमाबन्दी बदस्तुर			
	7. प्यारी पुत्री जीतमल हिस्सा 333/7986 शेष जमाबन्दी बदस्तुर			
	8. सीताराम पुत्र भूरा हिस्सा 1/4 शेष जमाबन्दी बदस्तुर			
	योग		किता 01	0.7986

अतः उक्त वादपत्र में वादीगण/प्रतिवादीगण को उक्तानुसार हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। साथ ही वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि वादीगण को उनके हक हिस्से की भूमि से बेदखल न करें एवं काश्त व भुगतभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें एवं न ही किसी प्रकार का हस्तक्षेप करें न किसी अन्य से करावे, रहन विक्रय नहीं करे।

उक्तानुसार डिक्री मूर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।

नीज Nil मुबलिंग Nil बाबत
Nil खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर Nil फीसदी सालाना आज की
तारीख से तारीख वसूल याबी तक Nil का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ...03 माह 02 वर्ष 2026 को जारी किया गया।

नोट :- प्रकरण में वकील वादीगण द्वारा स्टाम्प 100 रूपयें का प्रस्तुत करने से डिक्री आज दिनांक 03/02/2026 को मुर्तिब की गई।



(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

संख्या 04 पर

पेज संख्या 04

	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजी दया	-		स्टाम्प अरजी दया	-	
स्टाम्प वकीलात नामा	-		स्टाम्प वकीलात नामा	-	
स्टाम्प वजह सबूत	-		स्टाम्प वजह सबूत	-	
मेहनताना वकील ()	-		मेहनताना वकील ()	-	
खर्चा गवाह	-		खर्चा गवाह	-	
फीस कमीशनर	-		फीस कमीशनर	-	
बाबत इजराय हुक्मनामा	-		बाबत इजराय हुक्मनामा	-	
मुनफरिक	-		मुनफरिक	-	
मीजान			मीजान		



3
(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)
जोलासीन अधिकारी - अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी
दायर तारीख 18.05.2023

अनवान्

01. कन्हैयालाल पुत्र सुगनलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी जोलास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०) हाल मुकाम चकसोड़ीजर (म०प्र०)
02. धीरीशाल पुत्र काशीराम जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी जोलास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०) हाल मुकाम चकसोड़ीजर (म०प्र०)
03. नानालाल पुत्र मेघा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी जोलास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०) हाल मुकाम चकसोड़ीजर (म०प्र०)
04. पप्पु कुमार पुत्र सुगनलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी जोलास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०) हाल मुकाम चकसोड़ीजर (म०प्र०)
05. प्रभुलाल पुत्र काशीराम जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी जोलास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०) हाल मुकाम चकसोड़ीजर (म०प्र०)
06. बालीबाई पत्नि स्व० सुगनलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी जोलास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०) हाल मुकाम चकसोड़ीजर (म०प्र०)
07. मदनलाल पुत्र मेघा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी जोलास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०) हाल मुकाम चकसोड़ीजर (म०प्र०)
08. मोहनलाल पुत्र काशीराम जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी जोलास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०) हाल मुकाम चकसोड़ीजर (म०प्र०)
09. रामेश्वरलाल पुत्र मेघा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी जोलास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०) हाल मुकाम चकसोड़ीजर (म०प्र०)
10. सुन्दरबाई पुत्री काशीराम जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी जोलास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०) हाल मुकाम चकसोड़ीजर (म०प्र०)
11. सीताबाई पुत्री काशीराम जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी जोलास तहसील जिलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०) हाल मुकाम चकसोड़ीजर (म०प्र०)

..... वादीगण

बनाम



1. अनोप पुत्री जीतमल पत्नि सुरजमल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी जोलास हाल मुकाम विक्रमपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. कमला पुत्री जीतमल पत्नि शोभालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी जोलास हाल मुकाम बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. कैलाशचन्द्र पुत्र भूरालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी जोलास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. जमनी पत्नि जीतमल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी जोलास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. धापू पुत्री जीतमल पत्नि भवानीशंकर जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी जोलास हाल मुकाम गिरधरपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)
6. निर्मला पुत्री जीतमल पत्नि रामलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी जोलास हाल मुकाम सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)
7. प्यारी पुत्री जीतमल पत्नि छीतर जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी जोलास हाल मुकाम चान्दजी की खेड़ी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)

उप खण्ड अधिकारी

बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

दस्तावेज संख्या 02 पर

8. सीताराम पुत्र भूरा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी जोलास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)
9. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज०) प्रतिवादीगण

उपस्थित :- 1. श्री मुकेश कुमार धाकड़ - अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ - अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं. 1, 2, 4 से 8 तक
3. श्री रामफूल धाकड़ - अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 3

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-88-188 राज० काश्तकारी अधिनियम

:- निर्णय :-

दिनांक : 03 / 02 / 2026

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता श्री गिरधारीलाल आचार्य वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-88-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 व 3 दि०प्र०स० इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया/अनुतोष चाहा कि मौजा ग्राम चान्दजी की खेड़ी पटवार हल्का चान्दजी की खेड़ी, भू.अ.नि. सलावटियां तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता संख्या 296 पर अंकित में आराजी खसरा नं० 204 रकबा 1.1979 हैक्टेयर भूमि में वादीगण संख्या 1 का 1/36 हिस्सा, वादीगण संख्या 2 का 1/30 हिस्सा, वादीगण संख्या 3 का 1/36 हिस्सा, वादीगण संख्या 4 का 1/36 हिस्सा, वादीगण संख्या 5 का 1/30 हिस्सा, वादीगण संख्या 6 का 1/36 हिस्सा, वादीगण संख्या 7 का 1/36 हिस्सा, वादीगण संख्या 8 का 1/30 हिस्सा, वादीगण संख्या 9 का 1/36 हिस्सा, वादीगण संख्या 10 का 1/30 हिस्सा, वादीगण संख्या 11 का 1/30 हक हिस्से का अलग से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन किये जाने, खाता अलग-अलग किये जाने की डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमावें।

वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि वादीगण को उनके हक हिस्से की भूमि से बेदखल न करें एवं काश्त व भुगतभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे एवं न ही किसी प्रकार का हस्तक्षेप करें न किसी अन्य से करावे, रहन विक्रय नहीं करे। हर्जा-खर्चा मेहनताना वकील वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलावें।

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-88-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 19.05.2025 को प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी हुयी कि मौजा ग्राम चान्दजी की खेड़ी पटवार हल्का चान्दजी की खेड़ी, भू.अ.नि. सलावटियां तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता संख्या 296 पर अंकित में आराजी खसरा नं० 204 रकबा 1.1979 हैक्टेयर भूमि में वादीगण संख्या 1 का 1/36 हिस्सा, वादीगण संख्या 2 का 1/30 हिस्सा, वादीगण संख्या 3 का 1/36 हिस्सा, वादीगण संख्या 4 का 1/36 हिस्सा, वादीगण संख्या 5 का 1/30 हिस्सा, वादीगण संख्या 6 का 1/36 हिस्सा, वादीगण संख्या 7 का 1/36 हिस्सा, वादीगण संख्या 8 का 1/30 हिस्सा, वादीगण संख्या 9 का 1/36 हिस्सा, वादीगण संख्या 10 का 1/30 हिस्सा, वादीगण संख्या 11 का 1/30 हिस्सा को राजस्व रेकॉर्ड व मौके पर जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन के आदेश दिये गये। प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बिजौलिया से लिया गया। तहसीलदार बिजौलियां ने अपने पत्रांक/राजस्व/PDDUC/2025/07 दिनांक 27.06.2025 से प्राथमिक डिक्री की पालना, नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी नकल मय मौका पर्चा की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत की। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अधिवक्ता वादीगण को स्वीकार है।

विभाजन प्रस्ताव जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर वादीगण की उपस्थिति में तैयार करना भू-अभिलेख निरीक्षक सलावटियां ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है।



लगातार पेज संख्या 03 पर
उप खण्ड अधिकारी

पेज संख्या 03

अतः वादपत्र वादीगण अन्तर्गत धारा 53-88-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
01	<ol style="list-style-type: none"> कन्हैयालाल पुत्र सुगनलाल हिस्सा 333/3993 जाति धाकड़ जमाबन्दी अनुसार सा0 जौलास घीसीलाल पुत्र काशीराम हिस्सा 333/3993 शेष जमाबन्दी बदस्तुर नानालाल पुत्र मेघा हिस्सा 333/3993 शेष जमाबन्दी बदस्तुर पप्पु कुमार पुत्र सुगनलाल हिस्सा 333/3993 शेष जमाबन्दी बदस्तुर प्रभुलाल पुत्र कासीराम हिस्सा 333/3993 शेष जमाबन्दी बदस्तुर बालीबाई पत्नि स्व० सुगनलाल हिस्सा 333/3993 शेष जमाबन्दी बदस्तुर मदनलाल पुत्र मेघा हिस्सा 333/3993 शेष जमाबन्दी बदस्तुर मोहन पुत्र काशीराम हिस्सा 333/3993 शेष जमाबन्दी बदस्तुर रामेश्वरलाल पुत्र मेघा हिस्सा 333/3993 शेष जमाबन्दी बदस्तुर सुन्दरबाई पुत्री काशीराम हिस्सा 333/3993 शेष जमाबन्दी बदस्तुर सीताबाई पुत्री काशीराम हिस्सा 333/3993 शेष जमाबन्दी बदस्तुर 	चान्दजी की खेड़ी	204/1	0.3993
	योग		किता 01	0.3993
02	<ol style="list-style-type: none"> अनोप पुत्री जीतमल हिस्सा 332/7986 शेष जमाबन्दी बदस्तुर कमला पुत्री जीतमल हिस्सा 332/7986 शेष जमाबन्दी बदस्तुर कैलाशचन्द्र पुत्र भूरालाल हिस्सा 1/2 शेष जमाबन्दी बदस्तुर जमनी पत्नि जीतमल हिस्सा 3345/79860 शेष जमाबन्दी बदस्तुर धापू पुत्री जीतमल हिस्सा 332/7986 शेष जमाबन्दी बदस्तुर निर्मला पुत्री जीतमल हिस्सा 332/7986 शेष जमाबन्दी बदस्तुर प्यारी पुत्री जीतमल हिस्सा 333/7986 शेष जमाबन्दी बदस्तुर सीताराम पुत्र भूरा हिस्सा 1/4 शेष जमाबन्दी बदस्तुर 	चान्दजी की खेड़ी	204/2	0.7986
	योग		किता 01	0.7986



लगातार पेज संख्या 04 पर
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

पेज संख्या 04

अतः उक्त वादपत्र में वादीगण/प्रतिवादीगण को उक्तानुसार हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। साथ ही वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि वादीगण को उनके हक हिस्से की भूमि से वेदखल न करें एवं काश्त व भुगतभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें एवं न ही किसी प्रकार का हस्तक्षेप करें न किसी अन्य से करावे, रहन विक्रय नहीं करे।

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। वकील वादीगण निर्धारित नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प प्रस्तुत करें तब डिक्री मूर्तिब की जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।



3
(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

निर्णय आज दिनांक 03/02/2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



3
(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां